



NOC FOR HEIGHT CLEARANCE ONLY

(केवल ऊँचाई के क्लियरेंस के लिए अनापत्ति प्रमाण - पत्र)



N.O.C.

पत्र संख्या : बीटी-1/एन.ओ. सी.सी.एस. नं. 11/बीओ 168 / 1386-89
सेवा में,

दिनांक : 04/10/2011.

M/s Patel Associates
L1/11 National Nr. Ellora Park.
Ellora Park, **Vadodara.**

अनापत्तिप्रमाण पत्र सेल

पश्चिमी क्षेत्र केस न.मुं/11/बीओ/168)

विषय : प्रस्तावित भवन निर्माण विमानों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करना । (केस न. मुं/11/ बीओ /168)

उपर्युक्त विषय पर आपके दिनांक 18/04/2011 के पत्र संख्या के संदर्भ में ।

इस कार्यालय को Shri Patel Kantilal Mangalbhai, वडोदरा , जिन्हे इस पत्र मे आगे आवेदक कहा गया है, द्वारा (स्थान संख्या R. S. No. 1047/4. Village - Harni, Dist.Vadodara, पर प्रस्तावित भवन 14.90 मीटर (Fourteen Deci Nine Zero) धरातल के उपर (Above Ground Level) ऊँचाई तक का निर्माण करने के लिये कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि प्रस्तावित भवन संरचना के निर्माण पूरा होने पर संरचना ऊँचाई 14.90 मीटर (Above Ground Level) धरातल के उपर = 40.00 मीटर स्थल उत्थापन (Site Elevation) = 54.90 मीटर माध्य समुद्रतल (A.M.S.L.)से अधिक न हो ।"

यह " अनापत्ति प्रमाणपत्र " इस स्पष्ट धारणा पर जारी किया जा रहा है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए स्थल उत्थापन समानीत तल (माध्य समुद्रतल से उपर) अर्थात् 40.00 मीटर प्रस्तावित भवन / संरचना का अपेक्षित स्थल तथा ए.आर.टी / धात पथ के सिरो से इसकी दूरी और दिक्कोन सही दिए गए है । यदि जाँच के बाद किसी अवस्था में यह सिद्ध हो जाए कि उक्त आवेदक द्वारा प्रस्तुत उक्त आंकड़ों से भिन्न है और इसके द्वारा विमान परिचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड सकता है, तो जिस संरचना के जिस भाग के लिए यह अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया जा रहा है उसे अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, के आदेशानुसार आवेदक की लागत पर गिरा दिया जाएगा । अतः आवेदकों को उनके हित में यह सलाह दी जाती है कि वे प्रस्तावित निर्माण प्रारंभ करने से पहले स्थल के लिए प्रस्तुत उत्थापन और अन्य आंकड़ों का सत्यापन कर लें ।

इस अनापत्ति प्रमाणपत्र का यह निर्माण भारतीय विमान अधिनियम 1934 की धारा 9 अ के उपबन्धों और इनके अन्तर्गत समय-समय पर जारी की गई अन्य अधिसूचनाओं के अधीन भी होगा और जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा आवेदक को इस अनापत्ति प्रमाणपत्र के अनुसार प्राधिकृत की जाने-वाली पूर्ण संरचना भवन अथवा इसके किसी भाग को गिराने के लिए भी कहा जा सकता है ।

उपर्युक्त अनुच्छेद में उल्लिखित ऊँचाई से उपर कोई भी रेडियो, टी.वी.अँटिना, तडित चालक / निरोधक सीमेंटियाँ, गुम्दो, उँची पार्श्व की टंकिया अथवा किसी भी प्रकार की सान्ग्री / वस्तुएँ और अन्य सहायक उपकरण नहीं लगाए जाएंगे ।

विमानक्षेत्र की 8 किलोमीटर की परिधि में तेल या बिजली से चलने वाली भट्टी का ही प्रयोग करना अनिवार्य है ।

यह प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख से 5 (Five) वर्ष की अवधि तक विधिमान्य होगा। यदि भवन संरचना चिमनी का निर्माण कार्य उपर्युक्त अवधि 5 (Five) वर्ष के भीतर पूरा नहीं किया गया तो आवेदक को अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक, पश्चिमी क्षेत्र, मुंबई से पुनः अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होगा। जिस दिन भवन संरचना चिमनी का निर्माण कार्य पूरा हो जाए, उसकी सूचना अध्यक्ष, भा. वि. प्रा. तथा क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक, पश्चिमी क्षेत्र, मुंबई क्षेत्र को दी जाए।

भवन निर्माण के दौरान या बाद में कार्यस्थल पर किसी भी समय प्रकाश, प्रकाशपुंज या रंगीन-प्रकाश आदि का प्रयोग न किया जाए इनके द्वारा वैमानिक भूमि प्रकाशों के साथ भ्रम पैदा हो सकता है।

**	14.90	M AGL
+	40.00	M RL
	<u>54.90</u>	M AMSL

“The permissible top elevation/height includes height for superstructures eg. Wireless, TV antennas, Munties, Lift Machine room, Overhead water tanks, cooling towers etc)”

* Day & Night markings with secondary power supply may be provided as per ICAO standards.

This NOC is issued with the approval of Competent Authority as per S.O. 84 (E).

(एस. के. दासगुप्ता)
उप महा-प्रबंधक(ए.टी.सी./एन्.ओ.सी.)
कृते महाप्रबंधक (विमानक्षेत्र) प.क्ष.

- प्रतिलिपी:-1. कार्यपालक निदेशक (ए.टी. एम), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (रा.वि.प्रा.), राजीव गांधी भवन, सफदरपुर, नई दिल्ली-3.
2. सहायक टाऊन प्लानर, अर्बन डेवेलपमेन्ट ऑथोरिटी, वडोदरा
3. विमानपत्तन निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, वडोदरा
4. Asstt. G.M. (Vigilance)
5. गॉर्ड फाईल.



दृष्टगामी डाक/SPEED POST

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
पश्चिम क्षेत्र मुख्यालय
WESTERN REGION HQRS.

(केवल ऊँचाई के क्लियरन्स के लिए अनापत्ति प्रमाण - पत्र)

NOC

(NOC for Height Clearance Only)

पत्र संख्या : बीटी-1/एन.ओ.सी.सी/सि एस/मुं/11/बि ओ/ 48 / 22-25 दिनांक , 28/04/2011.
सेवा में,

✓ **Patel Associates,**
L1/11 National Nr. Ellora Park Police St.
Ellora Park, Vadodara.

अनापत्तिप्रमाण पत्र सेल

पश्चिमी क्षेत्र केस न. मुं/11/बि ओ/48

विषय : प्रस्तावित भवन निर्माण / चिमनी के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करना ।
(केस न. मुं/11/बि ओ/48)

उपर्युक्त विषय पर आपके दिनांक 18/02/2011 के पत्र संख्या के संदर्भ में ।

इस कार्यालय को **Patel Vithalbhai Mangalbhai, Vadodara** जिन्हे इस पत्र में आगे आवेदक कहा गया है, द्वारा (स्थान संख्या) R.S. No.1047/3 Village - Harni, District - Vadodara, Gujarat पर प्रस्तावित भवन 14.90 मीटर (Forteen Deci. Nine Zero) धरातल के उपर (Above Ground Level) ऊँचाई तक का निर्माण करने के लिये कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि प्रस्तावित भवन / संरचना के निर्माण पूरा होने पर संरचना ऊँचाई 14.90 मीटर (Above Ground Level) धरातल के उपर - 40.00 मीटर स्थल उत्थापन (Site Elevation) = 54.90 मीटर माध्य समुद्रतल (A.M.S.L.) से अधिक न हो ।"

यह " अनापत्ति प्रमाणपत्र " इस स्पष्ट धारणा पर जारी किया जा रहा है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए स्थल उत्थापन समानीत तल (माध्य समुद्रतल से उपर) अर्थात् 40.00 मीटर प्रस्तावित भवन / संरचना का अपेक्षित स्थल तथा ए.आर.पी. / धाव पथ के सिरो से इसकी दूरी और दिक्कोन सही किए गए हैं । यदि जाँच के बाद किसी अवस्था में यह सिद्ध हो जाए कि उक्त आवेदक द्वारा प्रस्तुत उक्त आंकड़ों से भिन्न है और इसके द्वारा विमान परिचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, तो जिस संरचना के जिस भाग के लिए यह अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया जा रहा है उसे अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, के आदेशानुसार आवेदक की लागत पर गिरा दिया जाएगा । अतः आवेदकों को उनके हित में यह सलाह दी जाती है कि वे प्रस्तावित निर्माण प्रारंभ करने से पहले स्थल के लिए प्रस्तुत उत्थापन और अन्य आंकड़ों का सत्यापन कर लें ।

इस अनापत्ति प्रमाणपत्र का यह निर्माण भारतीय विमान अधिनियम 1934 की धारा 9 अ के उपबन्धों और इनके अन्तर्गत समय-समय पर जारी की गई अन्य अधिसूचनाओं के अधीन भी होगा और जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा आवेदक को इस अनापत्ति प्रमाणपत्र के अनुसार प्राधिकृत की जाने-वाली पूर्ण संरचना भवन अथवा इसके किसी भाग को गिराने के लिए भी कहा जा सकता है ।

उपर्युक्त अनुच्छेद में उल्लिखित ऊँचाई से ऊपर कोई भी रेडियो, टी.वी.अँटेना, सड़ित चातक / निरोधक सीडियों, गुमटी, उँची पानी की टंकिया अथवा किसी भी प्रकार की आगामी वस्तुओं और अन्य सहायक उपकरण नहीं लगाए जाएंगे ।

विमानक्षेत्र की 8 किलोमीटर की सीमा में विमान क्षेत्रों से चलने वाली भट्टीयों को प्रयोग करना अनिवार्य है ।

Contd - 2/-

: 2 :

यह प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख से 5 (Five) वर्ष की अवधि तक विधिवान्वय होगा। यदि भवन संरचना / चिमनी का निर्माण कार्य उपर्युक्त अवधि 5 (Five) वर्ष के भीतर पूरा नहीं किया गया तो आवेदक को अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक, पश्चिमी क्षेत्र, मुंबई से पुनः अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होगा। जिस दिन भवन संरचना / चिमनी का निर्माण कार्य पूरा हो जाए, उसकी सूचना अध्यक्ष, भा. वि. प्रा. तथा क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक, पश्चिमी क्षेत्र, मुंबई क्षेत्र को दी जाए।

भवन निर्माण के दौरान यह वाद में कार्यस्थल पर किसी भी समय प्रकाश, प्रकाशपुंज या रोपिन-प्रकाश आदि का प्रयोग न किया जाए इनके द्वारा वैज्ञानिक भूमि प्रकाशों के साथ भ्रम पैदा हो सकता है।

** 14.90 M AGL
+ 40.00 M RL
54.90 M AMSL

"The permissible top elevation/height includes height for superstructures eg. Wireless, TV antennas, Munties, Lift Machine room, Overhead water tanks, cooling towers etc)"

Day & Night markings with secondary power supply may be provided as per ICAO standard

This NOC is issued with the approval of competent authority, as per S.O. 84 (E).

अशोका
(अशोका दास) 29/4

प्रबंधक (ए.टी.सी./अनापत्ति)
कृते महाप्रबंधक (विमान क्षेत्र) प.क्षे

प्रतिलिपी:- 1. कार्यपालक निदेशक (ए.टी.एम), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (रा.वि.प्रा.), राजीव गांधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली-3.

2. सहायक ठाऊन प्लेनर, अर्बन डेवेलपमेंट अथोरिटी, वडोदरा.
3. विमान पत्तन निदेशक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, वडोदरा.
4. The Asstt. General Manager, Vigilance.
5. गार्ड फाईल.

(अशोका दास)
प्रबंधक (ए.टी.सी./अनापत्ति)
कृते महाप्रबंधक (विमान क्षेत्र) प.क्षे



(केवल ऊँचाई के क्लियरन्स के लिए अनापत्ति प्रमाण - पत्र)
(NOC for Height Clearance Only)



NOC

पत्र संख्या : बीटी-1/एन.ओ.सी.सी/सि एस/मुं/11/बि ओ/ 77/536--37 दिनांक . 04/07/2011.
सेवा में,

Patel Associates,
11/11 National Nr.Ellora Park Police St.
Ellorapark, Vadodara .

अनापत्तिप्रमाण पत्र सेल

पश्चिमी क्षेत्र केस न. मुं/11/बि ओ/77

विषय : प्रस्तावित भवन निर्माण/चिमनी के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करना ।
(केस न. मुं/11/बि ओ/77).

उपर्युक्त विषय पर आपके दिनांक 03/03/2011 के पत्र संख्या के संदर्भ में ।

इस कार्यालय को Patel Minaben Naranbhai, Vadodara जिन्हे इस पत्र में आगे आवेदक कहा गया है, द्वारा (स्थान संख्या) R.S. No.1047/2, Village - Harni, District - Vadodara, Gujarat पर प्रस्तावित भवन 14.90 मीटर (Forteen Deci. Nine Zero) धरातल के उपर (Above Ground Level) ऊँचाई तक का निर्माण करने के लिये कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि प्रस्तावित भवन/संरचना के निर्माण पूरा होने पर संरचना ऊँचाई 14.90 मीटर (Above Ground Level) धरातल के उपर + 40.00 मीटर स्थल उत्थापन (Site Elevation) = 54.90 मीटर माध्य समुद्रतल (A.M.S.L.) से अधिक न हो ।"

यह " अनापत्ति प्रमाणपत्र " इस स्पष्ट धारणा पर जारी किया जा रहा है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए स्थल उत्थापन समानीत तल (माध्य समुद्रतल से उपर) अर्थात् 40.00 मीटर प्रस्तावित भवन/संरचना का अपेक्षित स्थल तथा ए.आर.पी. / धाव पथ के सिरो से इसकी दूरी और दिक्कोन सही दिए गए है । यदि जाँच के बाद किसी अवस्था में यह सिद्ध हो जाए कि उक्त आवेदक द्वारा प्रस्तुत उक्त आंकड़ों से भिन्न है और इसके द्वारा विमान परिचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, तो जिस संरचना के जिस भाग के लिए यह अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया जा रहा है उसे अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, के आदेशानुसार आवेदक की लागत पर गिरा दिया जाएगा । अतः आवेदकों को उनके हित में यह सलाह दी जाती है कि वे प्रस्तावित निर्माण प्रारंभ करने से पहले स्थल के लिए प्रस्तुत उत्थापन और अन्य आंकड़ों का सत्यापन कर लें ।

इस अनापत्ति प्रमाणपत्र का यह निर्गमन भारतीय विमान अधिनियम 1934 की धारा 9 अ के उपबन्धों और इनके अन्तर्गत समय-समय पर जारी की गई अन्य अधिसूचनाओं के अधीन भी होगा और जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा आवेदक को इस अनापत्ति प्रमाणपत्र के अनुसार प्राधिकृत की जाने-वाली पूर्ण संरचना भवन अथवा इसके किसी भाग को गिराने के लिए भी कहा जा सकता है ।

उपर्युक्त अनुच्छेद में उल्लिखित ऊँचाई से उपर कोई भी रेडियो, टी.वी. अंटेना, ताड़ित चलक / निरोधक सीढियाँ, गुम्हा, उँची पानी की टाँकिया अथवा किसी भी प्रकार की सामुग्री / वस्तुएँ और अन्य सहायक उपकरण नहीं लगाए जाएँगे ।

विमानक्षेत्र की 8 किलोमीटर की परिधि में तेल या बिजली से चलने वाली मट्टी का हो प्रयोग करना अनिवार्य है ।

Contd --- 2/-

: 2 :

यह प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख से 5 (Five) वर्ष की अवधि तक विधिमान्य होगा। यदि भवन संरचना / चिमनी का निर्माण कार्य उपर्युक्त अवधि 5 (Five) वर्ष के भीतर पूरा नहीं किया गया तो आवेदक को अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक, पश्चिमी क्षेत्र, मुंबई से पुनः अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होगा। जिस दिन भवन संरचना / चिमनी का निर्माण कार्य पूरा हो जाए, उसकी सूचना अध्यक्ष, भा. वि. प्रा. तथा क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक, पश्चिमी क्षेत्र, मुंबई क्षेत्र को दी जाए।

भवन निर्माण के दौरान या बाद में कार्यस्थल पर किसी भी समय प्रकाश, प्रकाशपुंज या रंगीन-प्रकाश आदि का प्रयोग न किया जाए इनके द्वारा वैमानिक भूमि प्रकाशों के साथ भ्रम पैदा हो सकता है।

** 14.90 M AGL
+ 40.00 M RL
54.90 M AMSL

"The permissible top elevation/height includes height for superstructures eg. Wireless, TV antennas, Munties, Lift Machine room, Overhead water tanks, cooling towers etc)"

Day & Night markings with secondary power supply may be provided as per ICAO standard

This NOC is issued with the approval of competent authority, as per S.O. 84 (E).

दिनेश के. एस.
(दिनेशन के. एस.)
प्रबंधक (ए.टी.सी./अनापत्ति)
कृते महाप्रबंधक (विमान क्षेत्र) प.क्षे.

प्रतिलिपि:- 1. कार्यपालक निदेशक (ए.टी.एम), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (रा.वि.प्रा.), राजीव गांधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली-3.

2. सहायक टाऊन प्लेनर, अर्बन डेवेलोपमेन्ट अथोरिटी, वडोदरा.

3. विमान पत्तन निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, वडोदरा.

4. The Asstt. General Manager, Vigilance.

5. गॉर्ड फाईल.

(दिनेशन के. एस.)
प्रबंधक (ए.टी.सी./अनापत्ति)
कृते महाप्रबंधक (विमान क्षेत्र) प.क्षे.